ग्राम पंचायत सूरी, विकास खण्ड व तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के

लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सूरी, विकास खण्ड सलूणी , जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रतन चन्द	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति गीता	23-1-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री टेक चन्द	30-08-12 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना।	0.12
2	7 (क)	प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय करना ।	0.02
3	7 (ख)	अनुदानों का अवरोधन।	12.03
4	8	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका न तैयार करने बारे।	2.06
5	10	औपचारिकताओं के बिना खरीद करने बारे।	14.19
6	11	क्रय निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करने बारे।	13.97
7	13	बिना बिल/वाउचर के अनियमित व्यय।	0.42

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सूरी , विकास खण्ड सलूणी , जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 0 1-01-2018 से 0 3-01-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय सूरी में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 09/14, 03/16 व 03/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 09/14, 06/15 व 03/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत सूरी , विकास खण्ड सलूणी , जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹6200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 08 दिनांक 03-01-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूरी से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत सूरी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{i} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत सूरी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	70829	31891	102720	31840	70880
2015-16	70880	38192	109072	12469	96603
2016-17	96603	31985	128588	52741	75847

{ii} अनुदान :-ग्राम पंचायत सूरी के अवधि1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	759815	4467924	5227739	4732196	495543
2015-16	495543	2051014	2546557	1858816	687741
2016-17	687741	4987146	5674887	4471709	1203178

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB salooni	18910103724	1318452
		cash in hand	183
		जोड़	**1318635**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 1318635

(ख)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):-₹ 1279025

अन्तर ₹39610

अन्तर का कारण :-चैक जारी किए परन्तु 31-03-17 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए :-

क्रम सं	चैक सं	दिनांक	व्यक्ति का नाम	राशि
1.	904516	23-03-17	विपिन	20710
2.	906428	23-03-17	रविन्द्र	4400
3.	906427	23-03-17	अर्चना	4200
4.	904524	23-03-17	बीना	3600
5.	906431	23-03-17	बशीर	3500
6.	904517	23-03-17	बशीर	3200
		जोड़		**₹39610**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत सूरी की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था ,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते }नियम 2002 के नियम 7 (3)एवं 10(1)के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। अत :पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत:भविष्य में पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना वांछित था जिसे एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा व प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.12 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹12480 की वसूली शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए।

(क) गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	1540	6240	7780	7780	0
2015-16	0	6240	6240	0	6240
2016-17	6240	6240	12480	0	12480

7 (क) प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.02 लाख का अधिक व्यय करने बारे :-

पंचायत सचिव सूरी द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान MPLAD के शीर्ष के अन्तर्गत **₹1858**, प्राप्त अनुदान से अधिक खर्च किए गए। जो कि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए अथवा उचित स्त्रोत से इसकी वसूली करके सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान ₹12.03 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1203178** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अत: अनुदान

की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 निर्माण कार्य ₹2.06 लाख की माप पुस्तिका तैयार न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा BRGF शीर्ष से " **ग्राम सभा हाल"** के निर्माण कार्य पर कुल **₹206000** अवधि 09/14 से 12/14 के दौरान व्यय की गई दर्शाई गई है उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो वर्तमान सचिव द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका तैयार नहीं की गई है व जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि उक्त निर्माण कार्य हुआ भी है या नहीं, इस बारे अंकेक्षण अधियाचना सं :-एम.के.(चम्बा –वृत्त)2018/ 07 दिनांक 03-01-18 द्वारा सचिव/प्रधान ग्राम पंचायत सूरी को अवगत करवा दिया गया है परन्तु पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः यह मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में आवश्यक जाँच हेतु लाया जाता है। अतः बिना माप पुस्तिका के भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका तैयार करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बंधित से करके पंचायत निधि में जमा की जाए।

9 सीमेंट की 431 बोरियां प्राइवेट फर्म से खरीदने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार 431 सीमेंट की बोरियां सिविल सप्लाई कारपोरेशन डिपो से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना प्राइवेट फर्म से खरीदी गई है जोकि अनुचित है। सिविल सप्लाई कारपोरेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹14.19 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹1418615** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 क्रय की गई ₹13.97 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डारण पुस्तकों में इन्द्राज व खपत सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार ₹1397290** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है । जो कि एक गम्भीर मामला है। अतः बिना स्टॉक प्रविष्टि के ऑडिट द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इसका औचित्य स्पष्ट करते हुए निर्माण सामग्री का इन्द्राज खपत सहित सम्बंधित स्टॉक रजिस्टर में किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

12 क्रय निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरण के अनुसार पत्थर की 438 फरी(ढेर) व रेत की 13 गाड़ियों की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थरों व रेत की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके अभाव में पत्थर व रेत की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर मामला है जिसे उच्च अधिकारीयों के ध्यान में जाँच हेतु लाया जाता है अत: पत्थर व रेत की मात्रा के स्थान पर केवल फरी व गाड़ी दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

13 बिना बिल/वाउचर के ₹0.42 लाख का अनियमित व्यय :-

मनरेगा निधि की रोकड़ बही की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित बिल/वाउचर द्वारा ₹42055 का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया परन्तु सम्बंधित बिल/वाउचर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके लिए स्थिति स्पस्ट करें अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बंधित से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

वाउचर सं,माह	राशि (₹)	रोकड़ बही पृष्ट सं
शून्य माह 09/14	8800	66
शून्य माह 09/14	5600	66
शून्य माह 09/14	2860	66
शून्य माह 09/14	24795	66
कुल राशि	**₹42055**	

14 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इनका रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाता बही

15 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

17 **लघु-आपति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

18 **निष्कर्ष** :-लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)26/2018 खण्ड–1–4518–4521 दिनांक 26.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत सूरी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881